भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2857
जिसका उत्तर बुधवार, 17 दिसम्बर, 2025 को दिया जाएगा

अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और फ्रंट ऑफ पैकिंग लेबलिंग तथा पीडीएस

2857. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ' (यूपीएफ) की आधिकारिक परिभाषा क्या है;
(ख) एक जैसे उत्पादों हेतु मानकों के सामंजस्य और वर्तमान दिशानिर्देशों सहित यूपीएफ को परिभाषित और विनियमित करने के लिए एफएसएसएआई की पहल की स्थिति क्या है;
(ग) फ्रंट ऑफ पैकिंग लेबलिंग (एफओपीएल) और अधिक स्वास्थ्यवर्धक पीडीएस विकल्पों की योजना और समय-सीमा क्या है;
(घ) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के पास औसत भारतीयों के दैनिक ऊर्जा सेवन में यूपीएफ के प्रतिशत योगदान से संबंधित राज्य-वार नवीनतम सार्वजनिक आंकड़े हैं और विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रतिशत में किस प्रकार परिवर्तन हुआ है;
(ङ) छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में शामिल किए गए या शामिल किए जाने वाले विशिष्ट स्वास्थ्यवर्धक और गैर-प्रसंस्कृत खाद्य विकल्पों का ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा चावल आदि जैसे पोषणयुक्त में विभिन्नता पीडीएस वस्तुओं सहित देश भर में विभिन्न नियमन और क्षेत्रीय विविधताओं जैसी नियामक कमियों को दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क से च): खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को मानव उपभोग हेतु सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थों हेतु विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिकार देता है।

एफएसएसएआई ने विभिन्न खाद्य उत्पादों के गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों को अधिसूचित किया है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों (कोडेक्स मानक, जिन्हें कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग द्वारा विकसित किया गया है) के अनुरूप हैं। इसके अतिरिक्त, एफएसएस अधिनियम, उसके नियम एवं विनियम "अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स" (यूपीएफ) को परिभाषित नहीं करते हैं परंतु इस प्रकार के खाद्य पदार्थों को एफएसएसएआई द्वारा अपने वर्तमान नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत विनियमित किया जा रहा है।

फ्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग (एफओपीएनएल) पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है और यह विषय न्यायालय में विचाराधीन है।

इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग एवं प्रदर्शन) विनियम, 2020 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों का चयन करते समय सूचित निर्णय लेने में सहायता हेतु लेबल पर नमक, चीनी एवं वसा से संबंधित पोषण संबंधी जानकारी का उल्लेख अनिवार्य किया गया है।

एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुदृढ़ीकरण) विनियम, 2018 अधिसूचित किए हैं, जिनमें चावल सहित विभिन्न मुख्य खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं, और ये मानक पूरे देश में समान रूप से लागू होते हैं।

*****